



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275267
CG-DL-E-07082026-275267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948

No. 4164]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4340(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1248 (अ) तारीख 11 मार्च, 2024, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में तारीख 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित हुई थी, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, धारा 3 की "उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन सदस्य" शीर्षक से संबंधित पैरा (2) में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	सदस्य	सदस्यता की प्राप्ति
(1)	(2)	(3)
"(viii)"	श्री धर्मेन्द्र, उप सचिव, अवर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग।	सदस्य, पदेन";

(ख) क्रम संख्या (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	सदस्य	सदस्यता की प्राप्ति
(1)	(2)	(3)
"(ix)"	(क) लेफ्टिनेंट कमांडर पवन दीप, उप निदेशक (प्रशासन), पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग। (ख) डॉ. जितेंद्र शर्मा, निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, दिल्ली। (ग) डॉ. अरविंद एच. आर., चिकित्सा अधीक्षक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु।	सदस्य, पदेन।

[फा. सं.जेड-28016/03/2023-एएचएस-भाग (1)]

ए. मुथुकुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 850 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd July, 2026.

S.O. 4340(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with section 4 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O.1248 (E), dated the 11th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th March, 2024, namely:-

In the said notification, in paragraph (2) relating to the heading "Members under clause (c) of sub-section (3) of section 3", in the Table,-

(a) for serial number (viii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
"(viii)"	Shri Dharmender, Deputy Secretary, Under Graduate Medical Education Board (UGMEB), National Medical Commission.	Member, <i>ex officio</i> ;

(b) for serial number (ix) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
"(ix)"	(a) Lt. Cdr. Pawan Deep, Deputy Director (Admn), North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong. (b) Dr. Jitendra Sharma, Director, Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Person with Physical Disabilities, Delhi. (c) Dr. Arvinda H. R., Medical Superintendent, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bengaluru.	Members, <i>ex officio</i> ".

[F. No. Z-28016/03/2023-AHS-Part (1)]

A. MUTHUKUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 and was last amended *vide* notification number 850 (E), dated 17th February, 2026.